संख्या :3536/श0वि0/आ0–04–204(सामान्य)/2003

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग
देहरादून ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 09 अगस्त, 2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में नगर भूमि सीमारोपण विभाग के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0–13 लेखा शीर्षक–2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्ध मदों की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–554/वि0अनु0–1/2004, दिनांकः 30 जुलाई, 2004, शासन के पत्र संख्या–1633 श0वि0–आ0–2004–204 (सामान्य)/2004, दिनांकः 05 अप्रैल, 2004 एवं शासनादेश संख्या–2085/v/श0वि0–आ0–04–204(सामान्य)/04, दिनांकः 26 अप्रैल, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 में आयोजनेत्तर मद में शासनादेश दिनांकः 05 अप्रैल, 2004 द्वारा लेखानुदान से 01 अप्रैल, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक की गयी वित्तीय स्वीकृति सहित कुल धनराशि रू0 12.15 लाख (रू0 बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

3. शासनादेश दिनांकः 05 अप्रैल, 2004 द्वारा लेखानुदान से मद संख्या–03 महंगाई भत्ता के अन्तर्गत रू0 1.32 लाख (रूपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी थी किन्तु अब चाले वित्तीय वर्ष–2004–2005 हेतु उक्त मद में केवल रू0 1.26 लाख (रूपये एक लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि का प्राविधान है, अतः सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के अनुसार ही व्यय सीमित रखा जाये।

4 व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6 इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनेत्तर–800–अन्य 04– शहरी भूमि सीमारोपण (लघु शीर्षक 200–03 के स्थान पर)–01–अधिष्ठान– के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–544/वित्त अनु0–1/2004, दिनांक 31जुलाई, 2004द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या 3536 (1) श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या – 3536/श0वि0–आ0–2004–204(सामान्य)
/2004,दिनांकः 09-अगस्त, 2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 संख्या	मद संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि(लेखानुदान द्वारा दि0 01अप्रैल,2004 से 31 जुलाई,2004 तक स्वीकृत धनराशि सहित)
01	01–वेतन	600
02	03–महंगाई भत्ता	126
03	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
04	06–अन्य भत्ते	125
05	08–कार्यालय व्यय	20
06	09–विद्युत देय	10
07	17–किराया; उपशुल्क और कर–रवागित्व	24
08	48–महंगाई भत्ता	300
	कुल योग	1215

(रू0 बारह लाख, पन्द्रह हजार मात्र)

आज्ञा से,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव